

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

परियोजना विवरण : उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

1

- | | |
|--|---|
| <p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण</p> | <p>प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर पूरी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। हालांकि, साइट की विस्तृत जांच और निर्माण के दौरान, डिजाइन में बदलाव होने की कारण, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि (1.1206 Ha) जो कि NH -58 को पोर्टल पी 0 1 (टनल टी 0 2) से जोड़ता है का उपयोग अस्थायी मार्ग (सड़क) निर्माण के लिए किया जायेगा। जिससे निर्माण के प्रयोग में आने वाले वाहन आवागमन में सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।</p> |
| <p>ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप</p> | <p>प्रारूप- 8 के साथ संलग्न है।</p> |
| <p>ग) परियोजना की लागत</p> | <p>INR 15,000 Crore</p> |
| <p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य</p> | <p>प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर पूरी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। हालांकि, साइट की विस्तृत जांच और निर्माण के दौरान, डिजाइन में बदलाव की होने की कारण, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि (1.1206 Ha) जो कि NH -58 को पोर्टल पी 0 1 (टनल टी 0 2) से जोड़ता है का उपयोग अस्थायी मार्ग (सड़क) निर्माण के लिए किया जायेगा। चूंकि उत्तराखंड राज्य का अधिकांश भाग जंगल से आच्छादित है और डिजाइन की मांग के कारण, हमारी भूमि की आवश्यकता प्रकृति में विशिष्ट है, इसलिए वन भूमि से बचना मुश्किल है। प्रस्तावित अतिरिक्त वन भूमि आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत आती है भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड का शासन है</p> |
| <p>ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p> | <p>प्रारूप- 29 के साथ संलग्न है।</p> |
| <p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है</p> | <p>ट्रेन संचालन और रखरखाव के लिए वार्षिक स्थायी कर्मचारियों की संख्या =450
निर्माण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार =6400@Rs 25000/ महीना, 7 साल की अवधि के लिए</p> |
| <p>2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:</p> | <p>प्रारूप- 15 और प्रारूप- 15.1 के साथ संलग्न है।</p> |
| <p>3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है</p> | <p>लागू नहीं है।</p> |
| <p>क) परिवारों की संख्या</p> | <p>लागू नहीं है।</p> |
| <p>ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या</p> | <p>लागू नहीं है।</p> |
| <p>ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)</p> | <p>लागू नहीं है।</p> |
| <p>4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)</p> | <p>लागू नहीं है।</p> |
| <p>5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक</p> | <p>प्रारूप- 42, प्रारूप- 43, प्रारूप- 44, प्रारूप- 45 और प्रारूप- 46 के साथ संलग्न है।</p> |

वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6.

निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा

- प्रारूप-1: प्रतिवेदन कापी संलग्न है।
- प्रारूप-2: भाग-1, (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)
- प्रारूप-3: Authority Letter
- प्रारूप-5: परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र
- प्रारूप-6: प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप
- प्रारूप-7: SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
- प्रारूप-8: प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र (सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोग्राफिक संलग्न है।)
- प्रारूप-9: डिजिटलमानचित्र जी0पी0एस0 रीडिंग सहित संलग्न है।
- प्रारूप-10: गूगल मानचित्र,उस पिसमद्धका हार्ड कापी संलग्न है।
- प्रारूप-11: Justification for locating the project in Civil Forest Area
- प्रारूप-12: गूगल मान चित्र (kml file);जिस में संरक्षण के तीन विकल्प दर्शाये गये हैं, की हार्ड कापी संलग्न है।
- प्रारूप-13: Performa for comparison between identified alignments
- प्रारूप-14: वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-15: लैन्ड शेड्यूल
- प्रारूप-15.1: लैन्ड शेड्यूल
- प्रारूप-16: परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण
- प्रारूप-17: बार चार्ट पृथक से संलग्न है - लागू नहीं
- प्रारूप-18: कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-19: प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण
- प्रारूप-20: परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन
- प्रारूप-20.1: प्रभावित होने वाले वृक्षों का सांराश
- प्रारूप-21: परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण
- प्रारूप-22: वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-23: प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र - लागू नहीं
- प्रारूप-24: न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-25: परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-26: (परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू) - लागू नहीं
- प्रारूप-27: परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति
- प्रारूप-28: आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र . वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रभावित प्रत्येक ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप- 30 के साथ संलग्न है।
- प्रारूप-29: Cost Benefit Analysis
- प्रारूप-30: COPY OF PROCEEDING OF DISTRICT LEVEL COMMITTEE, SUB DIVISION LEVEL COMMITTEE AND NOC OF GRAM SABHA RELATED TO SETTLEMENT OF RIGHTS UNDER FOREST RIGHTS ACT, 2006
- प्रारूप-31: मदवार विवरण - लागू नहीं
- प्रारूप-32: भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले-आउट

- प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा। - लागू नहीं
- प्रारूप-33: भू-वैज्ञानिक की आख्या
- प्रारूप-34: भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-35: Task Force Certificate
- प्रारूप-36: मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-37: धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-38: वन्य जीव/वनस्पतियोंको क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-39: परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-40: लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-41: वनभूमि के मूल्य /वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र - लागू नहीं
- प्रारूप-42: क्षतिपूरक वृक्षारोपणका 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
- प्रारूप-43: क्षति पूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-44: क्षतिपूरक वृक्षारोपणका 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी०पी०एस० रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।
- प्रारूप-45: क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी०पी०एस० रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।
- प्रारूप-46: परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवंज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है (जो कि लागू हो)
- प्रारूप-47: प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता होतो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।
- प्रारूप-48: भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रतिसंलग्न की जाय।
- प्रारूप-49: मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिधिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।
- प्रारूप-50: एन०पी०वी० की घनराशि का आंकलन
- प्रारूप-51: एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त घनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-52: प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन
- प्रारूप-53: (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू) लीज अवधि का प्रमाण-पत्र - लागू नहीं
- प्रारूप-54: वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र
- प्रारूप-55: प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान - लागू नहीं
- प्रारूप-56: (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।)
- प्रारूप-57: कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र - लागू नहीं

दिनांक 01. 01. 2022
स्थान

Rishikesh

नाम
मेहर

प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर

हिमांशु बडोनी/HIMANSHU BADONI

मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager

रेल विकास निगम लि०/ Rail Vikas Nigam Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises

रिश्किश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी
द्वारा भरा जाएगा)